


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के सेवानिवृत्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 13.02.2019, 15.03.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्रम	नाम	पद एवं पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	संशोधन
1	आदूराम जाट	व्याख्याता-वाणिज्य दुलचासर-बीकानेर	क्रम संख्या 15 पर नाम आदूराम ज्याणी के स्थान पर आदूराम जाट संशोधित पढा जावें।
2	जगदीश प्रसाद भूरिया	व्याख्याता-इतिहास मीरण-सीकर	क्रम संख्या 65 पर नाम जगदीश प्रसाद के स्थान पर जगदीश प्रसाद भूरिया संशोधित पढा जावें।
3	बगदसिंह पुरोहित	व्याख्याता-वाणिज्य सोजत सिटी- पाली	क्रम संख्या 279 पर नाम बगद सिंह के स्थान पर बगदसिंह पुरोहित संशोधित पढा जावें।

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य / संस्था / सी-2 / सेनि / इति-वाणि / 31853 / 2018-19  
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक-16.04.19

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-माध्यमिक,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)स्कूल शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था / प्रधानाचार्य / सम्बन्धित व्याख्याता
- 7 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

निम्नलिखित प्राध्यापक (भूगोल) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने के कारण उनकी सेवाएँ निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से समाप्त की जाती है।

क्र सं	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	मृत्यु प्रमाण-पत्र क्रमांक	जन्मतिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	बंशीलाल	आराउमावि. रघुनाथपुरा, डुंगरपुर	08100004700023100002 / 2019	15.06.1987	07.01.2019	07.01.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधिन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवा समाप्ति/2017

दिनांक 16/04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग राजस्थान,
2. उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
5. संबंधित प्रधानाचार्य।
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....
7. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर